दिनांक-06.02.2020

स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

दुकान का कचरा नाली में फेंका तो भरना पड़ा जुर्माना , उड़नदस्ता की टीम ने की कार्यवाही

भिलाईनगर/ नगर निगम की उड़नदस्ता टीम ने वार्ड 23 छावनी, वार्ड 37 आजाद नगर, केम्प-2 पाॅवर हाउस, वार्ड 04 कृष्णानगर, राधिकानगर सहित निगम के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले व्यवसासियों से प्रतिबंधित डिस्पोजल गिलास का विक्रय करने , एक्यपायरी खाद्य पदार्थ तथा बिना लाइसेंस व्यवसाय करने वालों का निरीक्षण कर कार्यवाही करते हुए 9,000 रूपए अर्थदण्ड की वसूली की। उड़नदस्ता की टीम ने निगम क्षेत्र का सघन दौरा कर बाजार क्षेत्र में गंदगी फैलाने वाले व सड़क बाधा कर व्यवसाय करने वालों से जुर्माना लेते हुए दोबारा ऐसा न करने समझाइश दी गई।

नगर पालिक निगम, भिलाई की उड़नदस्ता टीम ने वार्ड 23 छावनी, वार्ड 37 आजाद नगर, केम्प-2 पाॅवर हाउस, वार्ड 04 कृष्णानगर, राधिकानगर अंतर्गत आने वाले किराना दुकान , बाजार, होटल, पान ठेला व नास्ता सेंटर में खाद्य पदार्थो का निरीक्षण कर एवं सड़क बाधा कर सामान बढ़ाकर व्यवसाय करने वाले तथा बाजार में गंदगी फैलाने वालों का निरीक्षण करते हुए कार्यवाही की। निगम की उड़नदस्ता टीम ने कृष्णा पान ठेला छावनी के पास अनुज्ञप्ति लाइसेंस नहीं होने पर 500 रूपए, शुभ डेली नीडस नंदनी रोड द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक प्लेट विक्रय करते पाए जाने पर 500 रूपए, राज स्वीटस एवं रेस्टोरेंट नंदनी रोड 10 बोतल एक्सपायरी कोल्ड्रिंक्स एवं हल्दीराम के पैकेट पाए जाने पर 1000 रूपए, दीपक स्टेश्नरी सर्कुलर मार्केट केम्प -2 के द्वारा दुकान का कचरा नाली में फेकते देखे जाने पर 1000 रूपए, मोहन

जनसम्पर्क अधिकारी